

complete background behind our action in conducting nuclear tests and emphasised to them that our action should not be any cause of concern, and reiterated our continued commitment to global disarmament and peace.

Urban Land Ceiling Regulation Act

*172. DR. RANBIR SINGH:

SHRI RAM NATH KOVIND:

Will the Minister of URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Urban Land Ceiling Regulation Act, 1976 has failed to achieve any of its objective;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether there is any demand to repeal this Act; and

(d) if so, the reasons and the arguments therefor?

THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI RAM JETHMALANI): (a) to (d) The Urban Land (Ceiling & Regulation) Act, has failed to achieve its objectives due to its poor performance. Out of 2,20,675 ha. of estimated excess vacant land, 50,046 ha. of vacant land vested in the State Governments. Physical possession was acquired only of 19,020 ha. of vacant land by the State Governments. There has been a demand to repeal this Act so that the stock of urban land increases and development of urban land for various sectors namely housing, transport, industry, etc. may be available. The Legislatures of the State of Haryana and Punjab have passed a resolution of repealing the Act by the Parliament. The Government has decided to repeal this Act. Repeal of the Act will facilitate the availability and affordability of urban land, by increasing supply of urban land. It will also help in solving the shelter problem, as envisaged in the national agenda.

Growth rate of Steel Industry

*173. SHRI RAM NATH KOVIND:
DR. RANBIR SINGH:

Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Indian steel industry grew at a rate lower than the GDP growth rate for the first time this year;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the correctived measures proposed, if any?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI NAVEEN PATNAIK):

(a) The growth rate of finished (carbon) steel vis-a-vis GDP growth rate during the last 3 years was as under:—

	Growth Rate	GDP Growth rate at 1980-81 prices
1995-96	2.08%	7.2%
1996-97(P)	6.2%	7.5%
1997-98(P)	(-) 0.7%	5.0%(A)

(P)—Provisional; (Q)—Quick estimates

(A)—Advance estimates

@ Source: Economic Survey 1997-98

(b) and (c) The growth of the steel sector is dependent upon the growth of the economy in general and growth of industrial production and infrastructure sector in particular.

The major reasons for slow growth during 1997-98 in the steel sector include:

(i) Sluggish demand in the steel consuming sectors;

(ii) Overall economic slow down in the country;

(iii) Lack of investment by Government/private sector in major infrastructure projects;

(iv) Greater competition from imports due to reduction in custom duty for finished steel; and

(v) Dumping of finished steel in the country, particularly from CIS and South East Asian countries.

The enhanced allocation for infrastructure development, housing, power and highways proposed in the budget for 1998-99 is expected to stimulate the demand for steel.

कोल इंडिया लि० तथा इसकी सहायक कंपनियों को देय बकाया राशियाँ

*174. श्री अखिलेश दास: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31.3.1998 तक सभी वर्गों के उपभोक्ताओं पर कोल इंडिया लि० तथा इसकी सहायक कंपनियों की कुल कितनी राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य विद्युत बोर्डों और अन्य निजी विद्युत इकाइयों पर इस राशि का कितना प्रतिशत बकाया है; और

(घ) विशेषकर राज्य विद्युत बोर्डों से बकाया राशि की वसूली के लिये क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) और (ख) 31.3.1998 की स्थिति के अनुसार सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं की ओर को०इं० लि० की कुल देय बकाया राशि 4776.36 करोड़ रु० (अंनतिम) है। इस संबंध में उपभोक्ता-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिये)

विवरण

कोल इंडिया लि० की देय राशि का विवरण

(करोड़ रु० में)

31.3.1998 के अनुसार देय			
उपभोक्ता का नाम	विवादित	अविवादित	जोड़
बीएसईबी	104.88	204.76	309.64
यूपीएसईबी	53.27	395.57	448.84

(ग) विद्युत क्षेत्र की ओर देय बकाया राशि की प्रतिशतता कुल देय बकाया राशि का 82.27% है।

(घ) राज्य विद्युत बोर्डों की देय बकाया राशि की वसूली के लिये सरकार/को०इं० लि० ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

(1) कोल इंडिया लि० (को०इं० लि०) को सलाह दी गई है कि वे साख-पत्र अथवा अग्रिम भुगतान के एवज में ही विद्युत उपयोगिताओं को कोयले की आपूर्ति करे 1.1.1997 से "कैश एंड कैरी" स्कीम का कार्यान्वयन जोर-शोर से चल रहा है।

(2) देय राशि के निपटारे के लिये कोल इंडिया लि० तथा उसकी सहायक कंपनियाँ भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई कर रही है।

(3) कुछ विद्युत उपयोगिताओं के संबंध में भी देय राशि की वसूली, विद्युत बिलों के एवज में उसके समायोजन के द्वारा की जा रही है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे देय बकाया राशि की शीघ्र वसूली के लिये राज्य विद्युत बोर्डों को राजी करें/समर्थ करें।

(4) कोयला कंपनियों और राज्य विद्युत बोर्डों के बीच उत्पन्न विवादित देय राशियों के मामलों को निपटाने के लिये अधिनिर्णायकों की नियुक्ति कर दी गई है।

(5) सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया है कि को०इं० लि० 31.12.1996 तक की देय बकाया राशि की वसूली, राज्य सरकारों को दी जाने वाली केन्द्रीय योजना सहायता में से कटौती करने की क्रिया विधि के माध्यम से की जाए।

1997-98 में राज्य सरकारों की केन्द्रीय योजना सहायता से लगभग 226.50 करोड़ रु० की कुल राशि प्राप्त की गई तथा को०इं० लि० को उक्त राशि का भुगतान किया गया।